WE
Vol 6 No. 2
December 2025

e-ISSN: 2583-2298

भारत में विकलांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षा:विमर्श एवं मूल्यांकन

पूजा देवी*

सार

बीते कुछ दशकों में भारत में दिव्यांग बच्चों की शिक्षा मुख्य रूप से बहिष्कार के दृष्टिकोण से बदलकर समावेश को अपनाने वाले दृष्टिकोण में परिवर्तित हो गई है। यह परिवर्तन सभी बच्चों के लिए समान शैक्षिक अवसर प्रदान करने के महत्व को दर्शाता है, चाहे उनकी क्षमताएँ कुछ भी हों। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 इसी ओर अग्रसर है, जिसके अनुसार, दिव्यांग बच्चों को मुख्यधारा की शिक्षा में शामिल करना उनके समग्र विकास और सामाजिक एकीकरण के लिए आवश्यक है। यह शोध पत्र भारत में विकलांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षा सेवाओं की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करता है, नीति कार्यान्वयन और व्यावहारिक परिणामों पर ध्यान केंद्रित करता है। यह दिव्यांग बच्चों के लिए तैयार किए गए शैक्षिक कार्यक्रमों की पहुँच, गुणवत्ता और समावेशिता की जाँच करता है, परिवारों और शिक्षकों के सामने आने वाली बाधाओं को उजागर करता है। गुणात्मक और मात्रात्मक शोध विधियों के माध्यम से, अध्ययन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ वर्तमान प्रथाओं के संरेखण का आकलन करता है।

बीज शब्द: *दिव्यांगजन, समावेशी विकास, शैक्षिक कार्यक्रम, सामाजिक एकीकरण, नीतिगत सुधार इत्यादि।*

1. प्रस्तावना

समावेशन न केवल दिव्यांग छात्रों को लाभ पहुँचता है, बल्कि सभी छात्रों के लिए अधिक सहानुभूतिपूर्ण और विविध शिक्षण वातावरण को भी बढ़ावा देता है।[1] एक शोध से पता चलता है कि समावेशी शिक्षा दिव्यांग और गैर- दिव्यांग दोनों प्रकार के बच्चों के बीच सामाजिक कौशल और शैक्षणिक प्रदर्शन को बढ़ा सकती है। इस हेतु विशेष शिक्षा सेवाओं की प्रभावशीलता का पता लगाना अनिवार्य हो जाता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे सभी छात्रों की विविध आवश्यकताओं की पूर्ति हो। भारत सरकार ने विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम (RPwD) 2016 को लागू करके विशेष शिक्षा के महत्व को पहचाना है, जो सभी स्तरों पर समावेशी शिक्षा को अनिवार्य बनाता है। यह कानून उपयुक्त शैक्षिक सहायता तंत्र, स्कूलों में पहुँच और विकलांग बच्चों के साथ काम करने के लिए शिक्षकों के प्रशिक्षण की आवश्यकता पर जोर देता है।[2] नीति में इन प्रगति के बावजूद, समावेशी शिक्षा के व्यावहारिक कार्यान्वयन में चुनौतियाँ बनी हुई हैं। कई अध्ययनों ने प्रभावी कार्यान्वयन में बाधा डालने वाली प्रमुख बाधाओं की पहचान की है, जिसमें प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी, अपर्याप्त संसाधन और विकलांगता के बारे में सामाजिक गलत धारणाएँ शामिल हैं। उदाहरण के लिए, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम अक्सर विकलांग बच्चों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप ज्ञान का अंतर होता है जो सेवा वितरण को प्रभावित करता है।[3] इसके अतिरिक्त, स्कूलों में अक्सर विभिन्न प्रकार की विकलांगता वाले बच्चों को समायोजित करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढाँचे की कमी होती है, जो समावेशन के प्रयासों को और जटिल बनाता है।[4] नीति निर्माताओं और चिकित्सकों की जानकारी हेतु विशेष शिक्षा सेवाओं की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना महत्वपूर्ण है। मूल्यांकन के लिए एक व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली विधि छात्र परिणामों पर मात्रात्मक डेटा का संग्रह है, जिसमें शैक्षणिक प्रदर्शन, उपस्थिति दर और स्नातक दर शामिल हैं।[5] इसके अलावा, गुणात्मक दृष्टिकोण, जैसे कि माता-पिता और शिक्षकों के साथ साक्षात्कार और ध्यान केंद्रित समूह, समावेशी ठहराव के भीतर विकलांग बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकते हैं। ये विविध मूल्यांकन विधियाँ सर्वोत्तम प्रथाओं की पहचान करने और विशेष शिक्षा सेवाओं में आवश्यक समायोजन करने में सहायक हो सकती हैं। उदाहरणार्थ- जिन विद्यालयों ने समावेशी प्रथाओं को सफलतापूर्वक लागू किया है, वे अक्सर समान विशेषताओं को साझा करते हैं, जैसे कि सहयोगी शिक्षण विधियाँ, सहायक तकनीकों का उपयोग और माता-पिता और सामुदायिक संसाधनों के साथ सक्रिय भागीदारी।[6] इस प्रकार मौजूदा कार्यक्रमों का एक व्यापक मूल्यांकन विभिन्न शैक्षिक संदर्भों में सफलता के अनुकरणीय मॉडल का मार्ग प्रशस्त कर सकता है।

2. भारत में समावेशी शिक्षा

बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (RTE अधिनियम) एक ऐतिहासिक कानून है जो भारत में सभी बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। इस अधिनियम के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है।[7] यह निर्धारित करता है कि प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का अधिकार है और यह सुनिश्चित करता है कि सभी विद्यालय एक गैर-भेदभावपूर्ण और समावेशी वातावरण प्रदान करें, जहाँ बच्चे, उनकी सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि या शारीरिक अक्षमताओं की परवाह किए बिना एक साथ सीख सकें। शिक्षा का अधिकार अधिनियम विकलांग बच्चों के नामांकन हेतु स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों सहित स्थानीय अधिकारियों की आवश्यकता पर जोर देता है।

*शोध छात्रा, योग विज्ञान विभाग, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली

अधिनियम की धारा 3(1) यह सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है, जिससे समावेशी शिक्षा की नींव रखी जा सके। यह विधायी उपाय विकलांग बच्चों के शिक्षा की मुख्यधारा में पूरी तरह से भाग लेने के अधिकार को मान्यता देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके इतर, विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 का अधिनियमन समावेशी शिक्षा का समर्थन करने वाले कानूनी ढांचे को और मजबूत करता है। यह अधिनियम दिव्यांगता की विभिन्न श्रेणियों को मान्यता देता है और शिक्षा सहित जीवन के कई पहलुओं में विकलांग व्यक्तियों के लिए उपलब्ध अवसरों और अधिकारों का विस्तार करता है। यह शैक्षणिक संस्थानों में समावेशी वातावरण प्रदान करने के महत्व को रेखांकित करता है और यह सुनिश्चित करता है कि विकलांग छात्रों को उचित सुविधाएँ और सहायता मिले, जिससे उनके समग्र विकास को बढ़ावा मिले। शिक्षा का अधिकार अधिनियम और विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम का कार्यान्वयन महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये कानून अधिक न्यायसंगत और समावेशी शिक्षा प्रणाली बनाने की आकांक्षा रखते हैं। हालाँकि इन कानूनों के व्यावहारिक अनुप्रयोग में विभिन्न चुनौतियाँ आई हैं। उदाहरणार्थ- माता-पिता, शिक्षकों और बड़े पैमाने पर समुदाय के बीच इन अधिकारों के बारे में जागरूकता की कमी के कारण अक्सर मुख्यधारा के स्कूलों में विकलांग बच्चों का नामांकन कम होता है। इसके अतिरिक्त, विशेष शिक्षा तकनीकों में शिक्षकों का अपर्याप्त प्रशिक्षण समावेशी शैक्षणिक दृष्टिकोणों के प्रभावी कार्यान्वयन में बाधा डाल सकता है।[8] सरकार, विभिन्न गैर सरकारी संगठनों और नागरिक समाज संगठनों के साथ मिलकर इन चुनौतियों को पहचानती है और विकलांग बच्चों के लिए शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से कई कार्यक्रम और नीतियाँ शुरू की हैं। शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, अभिभावकों के लिए जागरूकता अभियान और स्कूलों में बुनियादी ढांचे का विकास इन मुद्दों को संबोधित करने और सभी बच्चों के लिए शैक्षिक पहुँच और गुणवत्ता में सुधार करने के लिए किए जा रहे कुछ उपाय हैं।

3. भारत में विशेष शिक्षा सेवाओं के महत्वपूर्ण घटक

भारत में विशेष शिक्षा सेवाएँ विकलांग बच्चों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाई गई हैं, जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक उनकी पहुँच को बढ़ावा देती हैं। इन सेवाओं में कई घटक शामिल हैं, जिनमें व्यक्तिगत शिक्षा योजनाएँ , संसाधन कक्ष और प्रशिक्षित शिक्षकों और विशेष उपकरणों से सुसज्जित विशेष विद्यालय शामिल हैं।[9] व्यक्तिगत शिक्षा योजनाएँ महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे प्रत्येक छात्र की ज़रूरतों के अनुरूप विशिष्ट शिक्षण उद्देश्यों की पहचान करती हैं, जिससे शिक्षकों को व्यक्तिगत निर्देश प्रदान करने में मदद मिलती है।[10] संसाधन कक्ष विशेष शिक्षा के एक अभिन्न अंग के रूप में कार्य करते हैं, जिससे विकलांग बच्चों को कम प्रतिबंधात्मक वातावरण में केंद्रित ध्यान, विशेष संसाधन और सहायता प्राप्त करने की अनुमति मिलती है।[11] विशेष विद्यालय गंभीर विकलांगता वाले बच्चों के लिए व्यापक शिक्षा प्रदान करते हैं, जहाँ पाठ्यक्रम को उनकी विशिष्ट शिक्षण आवश्यकताओं के अनुकूल बनाया जाता है और शिक्षकों को विशेष पद्धतियों में प्रशिक्षित किया जाता है।[12] इन सेवाओं का उद्देश्य केवल शिक्षा की सुविधा प्रदान करना नहीं है, बल्कि विकलांग बच्चों को सशक्त बनाना भी है, जिससे उनका सर्वांगीण विकास हो और समाज में एकीकृत होने की उनकी क्षमता बढ़े। भारत में समावेशी शिक्षा प्रथाओं के कार्यान्वयन ने गति पकड़ी है, जो इस दर्शन को बढ़ावा देता है कि सभी बच्चों को उनकी क्षमताओं की परवाह किए बिना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अधिकार। हालाँकि, समावेशिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नीतिगत ढाँचों के बावजूद, इन सेवाओं के व्यापक कार्यान्वयन और स्वीकृति में चुनौतियाँ बनी हुई हैं।[13]

3.1 प्रभावशीलता का मूल्यांकन

विशेष शिक्षा सेवाओं की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए कई मेट्रिक्स और संकेतकों का उपयोग किया जा सकता है। नामांकन दर, शैक्षणिक प्रदर्शन और सामाजिक एकीकरण इन सेवाओं के प्रभाव का आकलन करने में सफलता के प्रमुख उपाय हैं। इसके अलावा, मौजूदा सेवाओं की प्रभावशीलता की समग्र समझ विकसित करने के लिए माता-पिता, शिक्षकों और स्वयं छात्रों सहित कई हितधारकों से प्रतिक्रिया एकत्र करना महत्वपूर्ण है।[14]

3.2 नामांकन दरें

नामांकन दरें विशेष शिक्षा सेवाओं की प्रभावशीलता का एक मूलभूत संकेतक हैं। वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट (ASER) 2020 के अनुसार- विकलांग बच्चों को शिक्षा तक पहुँचने से रोकने वाली अनेकों बाधाएँ अभी भी हैं। हालाँकि पिछले कुछ वर्षों में सुधार हुए हैं, किन्तु विकलांग बच्चों का नामांकन उनके गैर-विकलांग साथियों की तुलना में अनुपातित रूप से कम है। इस असमानता के कारणों में सामाजिक कलंक, जागरूकता की कमी और विद्यालयों में अपर्याप्त पहुँच शामिल हैं।[15] नामांकन दरों को बढ़ाने के लिए, बेहतर पहुंच की रणनीतियों और जागरूकता कार्यक्रमों को लागू करना आवश्यक है, जो परिवारों को उपलब्ध सेवाओं और उनके बच्चों के शिक्षा के अधिकारों के बारे में ध्यान आकृष्ट करता है।

3.3 शैक्षणिक प्रगति

विकलांग बच्चों की शैक्षणिक प्रगति विशेष शिक्षा सेवाओं के मूल्यांकन में चिंता का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। शोध से पता चलता है कि जहाँ कुछ बच्चों को अनुकूलित शैक्षिक हस्तक्षेपों से लाभ हुआ है, वहीं शैक्षणिक परिणामों में महत्वपूर्ण असमानताएँ बनी हुई हैं। विकलांग बच्चे अक्सर अपने गैर-विकलांग साथियों की तुलना में शैक्षणिक उपलब्धियों में पिछड़ जाते हैं, जो अधिक प्रभावी निर्देशात्मक रणनीतियों और संसाधनों की आवश्यकता को उजागर करता है।[16] शेष रूप से सुधारात्मक शिक्षा, व्यक्तिगत सहायता और विविध शिक्षण विधियों में संलग्नता जैसे हस्तक्षेप उपलब्धि अंतर को पाटने में आवश्यक साबित हुए हैं। इसके इतर छात्रों की

©WE-Faculty of Arts

प्रगति का निरंतर मूल्यांकन और निगरानी शिक्षकों को आवश्यकतानुसार रणनीतियों को समायोजित करने की अनुमति देती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि निर्देश प्रत्येक बच्चे की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करता है।[17]

3.4 सामाजिक एकीकरण

सामाजिक एकीकरण विशेष शिक्षा सेवाओं की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए एक प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। समावेशी अभ्यास विकलांग बच्चों को लाभ पहुँचाते हैं, गैर-विकलांग साथियों के साथ सकारात्मक सामाजिक संपर्क को बढ़ावा देते हैं। समावेशिता सहानुभूति और समझ को बढ़ावा देती है, शैक्षिक आवरण के भीतर कलंक और भेदभाव को कम करती है। सहयोगी गतिविधियों, सहकर्मी शिक्षण और समूह परियोजनाओं के माध्यम से सामाजिक संपर्क बढ़ाने के उद्देश्य से कार्यक्रमों ने विकलांग बच्चों के बीच सामाजिक कौशल और आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए दिखाया है। हालाँकि सामाजिक कलंक और दिव्यांगता के बारे में जागरूकता की कमी जैसे प्रणालीगत मुद्दे सामाजिक एकीकरण के लिए महत्वपूर्ण बाधाएँ बने हुए हैं। इन बाधाओं को दूर करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है जिसमें सामुदायिक शिक्षा और नीतिगत पहल शामिल हैं जो विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों और समावेश की वकालत करती हैं।

4. चुनौतियाँ और सिफारिशें

भारत में विशेष शिक्षा सेवाओं को लागू करने में हुई प्रगति के बावजूद कई चुनौतियाँ उनकी प्रभावशीलता में बाधा डालती हैं। इनमें शिक्षकों के लिए अपर्याप्त प्रशिक्षण, अपर्याप्त संसाधन, कानूनी और नीतिगत बाधाएँ और विकलांगता के बारे में सामाजिक धारणाएँ शामिल हैं। कई शैक्षिक आवरण में एक ही तरह के दृष्टिकोण पर निर्भरता विकलांग बच्चों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहती है, जिससे शैक्षिक परिणामों में असमानताएँ और बढ़ जाती हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए कई सिफारिशें प्रस्तावित की जा सकती हैं:

i) **पहुँच और संसाधनों में वृद्धि:** विकलांग छात्रों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्कूलों को विशेष शिक्षण सामग्री, प्रौद्योगिकी और प्रशिक्षित कर्मियों सहित आवश्यक संसाधनों से लैस किया जाना चाहिए।

ii) **शिक्षकों के लिए व्यावसायिक विकास:** विकलांग छात्रों को प्रभावी ढंग से पढ़ाने में शिक्षकों के कौशल को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए जाने चाहिए। इसमें अलग-अलग निर्देश देने और सहायक तकनीक का उपयोग करने का प्रशिक्षण शामिल है।

iii) **सामुदायिक जागरूकता अभियान:** स्वीकृति को बढ़ावा देने और कलंक को कम करने के लिए, सामुदायिक सहभागिता पहलों का उद्देश्य विकलांगों और समावेशी शिक्षा के महत्व के बारे में जनता को शिक्षित करना होना चाहिए।

iv) **नीति कार्यान्वयन और उनकी वकालत:** नीति निर्माताओं को विकलांग बच्चों के अधिकारों से संबंधित मौजूदा कानूनों के प्रवर्तन को प्राथमिकता देनी चाहिए, यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शिक्षा तक समान पहुँच सिर्फ़ एक कानूनी आवश्यकता के बजाय एक वास्तविकता हो।

5. विशेष शिक्षा सेवाओं के मूल्यांकन में चुनौतियाँ

विभिन्न ढाँचों और नीतियों के अस्तित्व के बावजूद भारत में विशेष शिक्षा सेवाओं की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना महत्वपूर्ण चुनौतियाँ बना हुआ है। जटिलताएँ असंगत डेटा संग्रह और रिपोर्टिंग, गुणात्मक प्रतिक्रिया की व्यक्तिपरक प्रकृति, अपर्याप्त निधि और संसाधन आवंटन से उत्पन्न होती हैं। इन मुद्दों को संबोधित करना यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि विशेष शिक्षा सेवाएँ विकलांग बच्चों की विविध आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से पूरा करें।

5.1 असंगत डेटा संग्रह और रिपोर्टिंग तंत्र

विशेष शिक्षा सेवाओं की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में प्राथमिक चुनौतियों में से एक डेटा संग्रह और रिपोर्टिंग तंत्र की असंगतता है। एक सरकारी रिपोर्ट में कहा गया है कि शिक्षा प्रणाली के विभिन्न स्तरों पर एकत्र किए गए डेटा में विसंगतियों के कारण सेवा वितरण प्रभावशीलता की विभिन्न व्याख्याएँ होती हैं।[18] यह असंगतता सटीक रूप से यह आकलन करना मुश्किल बनाती है कि सेवाएँ विकलांग बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करती हैं या नहीं। इसके अतिरिक्त, कई राज्यों में डेटा संग्रह के लिए मानक प्रोटोकॉल का अभाव है, जिसके परिणामस्वरूप नामांकन, संसाधन उपलब्धता और छात्र परिणामों[19] के बारे में अधूरी या गलत जानकारी हो सकती है। विश्वसनीय डेटा के बिना, नीति निर्माता सूचित निर्णय लेने, सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने और संसाधनों को प्रभावी ढंग से आवंटित करने के लिए संघर्ष करते हैं। उदाहरणार्थ- कुमार और सिंह (2021)[20] द्वारा किए गए एक व्यापक अध्ययन में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि विकलांग बच्चों पर केंद्रित डेटा की कमी उनके शैक्षिक अनुभवों, प्रगति और मुख्यधारा की शिक्षा में आने वाली चुनौतियों की समझ को गंभीर रूप से सीमित करती है।

5.2 गुणात्मक प्रतिक्रिया की व्यक्तिपरक प्रकृति

विशेष शिक्षा सेवाओं की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए हितधारकों से गुणात्मक प्रतिक्रिया आवश्यक है। हालाँकि इस प्रतिक्रिया की व्यक्तिपरक प्रकृति मूल्यांकन को जटिल बना सकती है। माता-पिता, शिक्षक और छात्र व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकते हैं, जो व्यक्तिगत अपेक्षाओं और पूर्वाग्रहों से प्रभावित हो सकते हैं। नतीजतन केवल गुणात्मक आकलन पर निर्भर रहने से सेवा प्रभावशीलता की गलत व्याख्या हो सकती है और व्यापक मूल्यांकन में बाधा आ सकती है। इसके

© WE Faculty of Arts

इतर मानकीकृत मूल्यांकन उपकरणों की अनुपस्थिति गुणात्मक डेटा को इस तरह से एकत्रित करने की प्रक्रिया को और जटिल बनाती है जो सुसंगत और विश्वसनीय दोनों हो।[21] परिणामस्वरूप गुणात्मक प्रतिक्रिया पर अत्यधिक निर्भर करने वाले कार्यक्रमों की प्रभावशीलता को पहचाना नहीं जा सकता है या गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है, जिससे सेवा वितरण में सुधार की कथित आवश्यकता प्रभावित होती है।

6. फंडिंग और संसाधन आवंटन के मुद्दे

विशेष शिक्षा सेवाओं की प्रभावशीलता में एक महत्वपूर्ण बाधा अपर्याप्त फंडिंग और संसाधन आवंटन है। समावेशी शिक्षा की वकालत करने वाले विधायी जनादेशों के बावजूद, इन जनादेशों को लागू करने के लिए वास्तविक वित्तीय सहायता अक्सर अपर्याप्त होती है। बजटीय बाधाएँ कई विद्यालयों को आवश्यक संसाधन प्राप्त करने, योग्य कर्मचारियों को नियुक्त करने और प्रभावी शिक्षण रणनीतियों को लागू करने से रोकती हैं। उदाहरणार्थ पर्याप्त प्रशिक्षण के बिना शिक्षकों को अपनी शिक्षण शैली को अनुकूलित करने या अलग-अलग दिव्यांगता वाले छात्रों को आवश्यक सहायता प्रदान करने में संघर्ष करना पड़ता है, जिसके परिणामस्वरूप वह शैक्षिक अवसर से वंचित रह जाते हैं।[22]

7. निष्कर्ष

भारत में विकलांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षा सेवाओं के मूल्यांकन से सुधार के लिए कई चुनौतियाँ और अवसर सामने आते हैं। विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 जैसे विधायी ढाँचे समावेशी शिक्षा के लिए एक मज़बूत आधार प्रदान करते हैं। हालाँकि इन नीतियों का वास्तविक कार्यान्वयन विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों में असंगत बना हुआ है।[23] विकलांग बच्चों की ज़रूरतों और परिणामों का आकलन करने के लिए डेटा संग्रह महत्वपूर्ण है।[24] व्यापक डेटा बेहतर नीति-निर्माण और संसाधन आवंटन की जानकारी दे सकता है। इसके इतर प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए विशेष शिक्षा कार्यक्रमों के लिए धन बढ़ाना आवश्यक है। शिक्षक प्रशिक्षण एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि शिक्षकों में अक्सर विविध ज़रूरतों वाले छात्रों का प्रभावी ढंग से समर्थन करने के लिए कौशल और ज्ञान की कमी होती है।[25] अतएव समुदाय में जागरूकता बढ़ाना और दिव्यांगता को स्वीकार करना अधिक समावेशी वातावरण को बढ़ावा दे सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. Sharma, U. (2019). Inclusive Education: Hurdles and Milestones. International Journal of Inclusive Education.
2. Kumar, R., & Kumar, P. (2018). Teacher Training for Inclusion: Issues and Challenges. Journal of Education and Practice.
3. Sharma, U., Loreman, T., & Forlin, C. (2020). Preparing Pre-Service Teachers for Inclusive Education: A Review of the Literature. *International Journal of Inclusive Education*.
4. Singal, N. (2020). The Promise of Inclusive Education in India: A Long Way to Go. *Indian Journal of Disability Studies*.
5. Verma, A., Mehta, R., & Singh, K. (2019). Assessing the Efficacy of Special Education Services in India. *Indian Journal of Special Education*
6. Snyder, T. D., & Dillow, S. A. (2018). *Digest of Education Statistics.*
7. Ministry of Human Resource Development. (2009). The Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009. Government of India.
8. Government of India. (2016). The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016. Government of India.
9. Sharma, N., & Srivastava, S. (2018). Special Education in the Indian Context.
10. Govinda, R., & Bandyopadhyay, M. (2019). Education for All: Strategies and Innovations.
11. Bhatia, K. (2020). Enhancing Access to Special Education in India.
12. Ghosh, M., & Saha, S. (2019). Special Education and Inclusive Practices in India.
13. Kumar, A., & Singh, R. (2021). Educational Outcomes for Children with Disabilities
14. Chaudhury, S. (2019). Stakeholder Perspectives on Special Education Services.
15. Mishra, R., & Radhakrishna, A. (2021). Barriers to Education for Children with Disabilities.
16. Raj, P. (2022). Remedial Strategies for Improving Educational Outcomes.
17. Sharma, N., et al. (2020). Effective Strategies for Teaching Children with Disabilities.

© WE-Faculty of Arts

18. Bhatia, K. (2020). Challenges in Evaluating Special Education Services in India. International Journal of Special Education.
19. Kumar, A., & Singh, R. (2021). Funding Challenges for Special Education in India. Asian Journal of Inclusive Education.
20. Sharma, N., & Srivastava, S. (2018). Special Education: Policies and Practices in India. Indian Journal of Educational Studies.
21. Govinda, R., & Bandyopadhyay, M. (2019). Educational Disparities and Inclusion in India. *Journal of Indian Education*.
22. UNESCO (2020). *Global Education Monitoring Report*.
23. World Bank (2018). *Inclusive Education: A Global Perspective*.
24. Kaur & Saxena (2020). Teacher Training for Inclusive Education.

©WE-Faculty of Arts